

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट केसरौली)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं० 1/61/15

निर्णय दिनांक : 11.06.2018

उनवान

1. छाजूसिंह पुत्र सोहनलाल जाति जोगी निवासी ग्राम केसरौली तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....वादी

बनाम

1. खुशीद पुत्र साहब खां

2. नसरू पुत्र साहब खां

3. रूस्तम पुत्र लल्लू

4. सपात खां पुत्र भुट्टन जाति मेव निवासी ग्राम केसरौली तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....प्रतिवादीगण

5. राजस्थान राज्य सरकार जयें तहसीलदार साहब रामगढ।


.....तकमीली प्रतिवादी

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 532 रकबा 0.09 हैक्ट0 वाके ग्राम केसरौली तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वाद में विवादित है। विवादित आराजी वादी की कब्जे काशत खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादी काबिज रहकर काशत करता चला आ रहा है। वादी के अलावा किसी शख्स का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी से गैर वास्ता व गैर काबिज शख्स है। विवादित आराजी के पास ही प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नम्बर 524, 531, 533 है और इस बात का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण आये दिन वादी की आराजी में मुजाहीमत होते है और वादी को उसकी आराजी पर चैन से काशत नहीं करने देते है और आये दिन विवादित आराजी से वादी को जबरन बेदखल करने व अपना जबरन कब्जा करने व डोल तोडने को उतारू हो जाते है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री बाबत स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर प्रतिवादीगण को जयें स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें कि वोह विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 532 रकबा 0.09 हैक्ट0 वाके ग्राम केसरौली तहसील रामगढ जिला अलवर के कब्जे काशत में प्रतिवादीगण रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें, किसी प्रकार का


उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

(2)

अतिक्रमण न करें, किसी प्रकार की जबरन डोल वगैराह नही तोडे, मौके की शकल तब्दील न करें मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत केसरोली में दिनांक 11.06.2018 को पेश हुई।

पत्रावली का लोक अदालत शिविर / कैम्प कोर्ट केसरोली में दिनांक 11.06.2018 को अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी सम्वत 2068-71 ग्राम केसरोली से स्पष्ट है कि वादी विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा नही है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 532 रकबा 0.09 हैक्ट0 वाके ग्राम केसरोली तहसील रामगढ जिला अलवर के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें, किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें, किसी प्रकार की जबरन डोल वगैराह नही तोडें, मौके की शकल तब्दील न करें मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इसी प्रकार फर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत केसरोली में सुनाया गया।


उप खण्ड अधिकारी
रामगढ अलवर
रामगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट केसरोली)
पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाड़ी आरएएस
मुकदमा नं० 1/61/15 निर्णय दिनांक : 11.06.2018

उनवान

1. छाजूसिंह पुत्र सोहनलाल जाति जोगी निवासी ग्राम केसरोली तहसील रामगढ़ जिला
अलवर।

.....वादी

बनाम


1. खुशींद पुत्र साहब खां
2. नसरु पुत्र साहब खां
3. रूस्तम पुत्र लल्लू
4. सपात खां पुत्र भुटटन जाति मेव निवासी ग्राम केसरोली तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
.....प्रतिवादीगण
5. राजस्थान राज्य सरकार जयें तहसीलदार साहब रामगढ़।

.....तकमिली प्रतिवादी
(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 532 रकबा 0.09 हैक्ट० वाके ग्राम केसरोली तहसील रामगढ़ जिला अलवर के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें, किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें, किसी प्रकार की जबरन डोल वगैराह नही तोड़ें, मौके की शकल तब्दील न करें मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।


उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)